संचार ब्रीफ्स

विज्ञान और समाचार: स्वास्थ्य व अनुसंधान संचार

ब्रीफ **#1: बाल विवाह और किशोरावस्था में गर्भधारण**

भारत में 18 साल से कम उम्र की किसी लड़की के विवाह को बाल विवाह की श्रेणी में रखा गया है और वर्ष 2006 के बाल विवाह प्रतिबंध कानून के तहत इसे अवैध घोषित किया गया है। बाल विवाह का कम उम्र की महिलाओं पर बहुत गंभीर दुष्परिणाम होता है, जिसमें मनोवैज्ञानिक समस्याएं, किशोरावस्था में गर्भधारण और शिक्षा व रोजगार के अवसर का नुकसान तो है ही, साथ ही इसके बाद उसके घरेलू हिंसा का शिकार होने की आशंका बढ़ जाती है और उसकी सामान्य स्वतंत्रता सीमित होने की आशंका भी बढ़ जाती है। इसलिए, 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में बाल विवाह की दर को शिशु और मातृत्व स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और स्वायत्तता के लिहाज से एक महत्वपूर्ण पैमाना माना गया है।

भारत ने भले ही बाल विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है और देश के अधिकांश हिस्सों में इस दर में कमी भी आ रही है, लेकिन 18 साल से कम उम्र की लड़कियों की शादी अब भी चिंताजनक संख्या में हो रही हैं। 2011 की जनगणना में 1.21 करोड़ बाल विवाह दर्ज किए गए हैं। इसकी वजह कई सामाजिक-आर्थिक कारक हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक चलन और विश्वास की वजह से बाल विवाह अब भी प्रचलित है। इसलिए बाल विवाह और किशोरावस्था का गर्भधारण मुख्य रूप से ग्रामीण भारत के न्यूनतम आय वर्ग के लोगों की समस्या है।

एनएफएचएस- 4 (2015-16) के कुछ प्रमुख तथ्य:

1. एनएफएचएस-3 (2005-06) और एनएफएचएस-4 (2015-16) में 20 से 24 वर्ष की महिलाओं में बाल विवाह की दर के बीच तुलना करें तो ज्ञात होगा कि मणिपुर को छोड़ कर सभी राज्यों में इस लिहाज से प्रगति हुई है। सिर्फ इसी राज्य में बाल विवाह की दर थोड़ी बढ़ गई है। बहुत से राज्यों में यह दर 50% या उससे भी ज्यादा घट गई है।

2. 27.3% विवाहित किशोरियों को एक बच्चा था, जबकि 4.2% विवाहित लड़कियों को दो या अधिक बच्चे हो चुके थे।

3. विवाहित किशोरियों के बीच किए गए बॉडी मास इंडेक्स के सर्वे में पता चला है कि 15 से 19 वर्ष की 36% विवाहित किशोरियां जिनका 18 साल से कम उम्र में विवाह कर दिया गया, वे कम वजन की हैं।

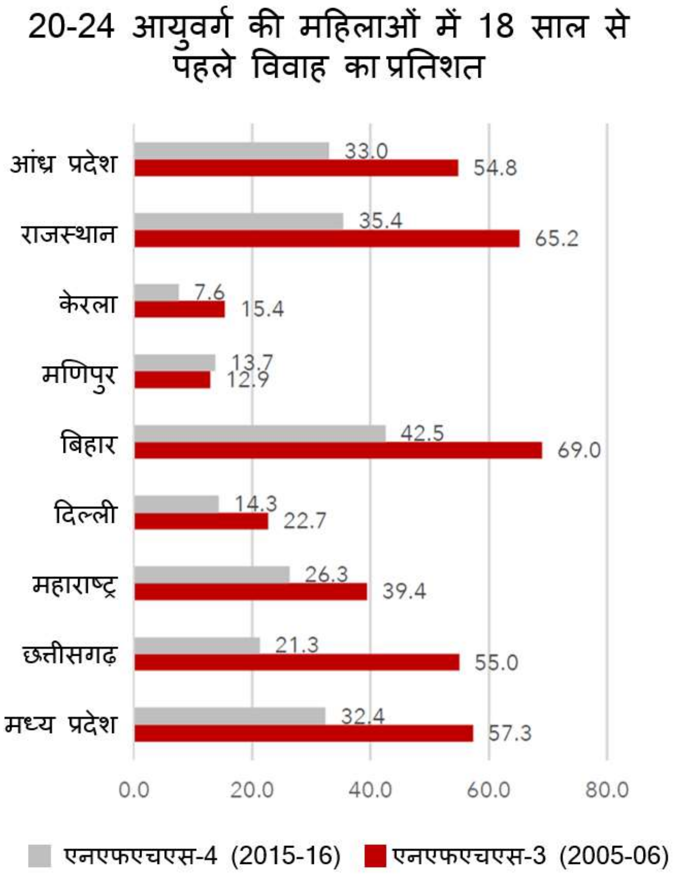

कम उम्र की लड़कियों के बाल विवाह की दर खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में ज्यादा है। 13 राज्य ऐसे हैं, जिनमें 80% से अधिक बाल विवाह ग्रामीण इलाकों में ही होते हैं, जबकि 70% से अधिक बाल विवाह ग्रामीण इलाकों में दर्ज किए गए राज्यों का आंकड़ा 20 है। हालांकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बाल विवाह शहरी इलाकों में भी प्रचलित है। शहरी क्षेत्र में बाल विवाह की चिंताजनक दर वाले राज्यों में हरियाणा 41%, तमिलनाडु 37% और महाराष्ट्र 33% शामिल हैं।

लड़की जिस परिवार में पैदा हुई है, उसकी आर्थिक स्थिति और उसके 18 साल से कम उम्र में शादी होने की आशंका के बीच घनिष्ठ संबंध है।

शिक्षा जितने ज्यादा वर्ष हुई हो, बाल विवाह की दर उतनी ही घट जाती है; इसी तरह, 18 साल से कम उम्र में जिनकी शादी नहीं हुई हो, उनके माध्यमिक शिक्षा पूरा कर लेने की संभावना अधिक रहती है।

15-19 आयु वर्ग की महिलाओं में वैधानिक आयु से पहले शादी का प्रतिशत, शिक्षा के स्तर के अनुसार

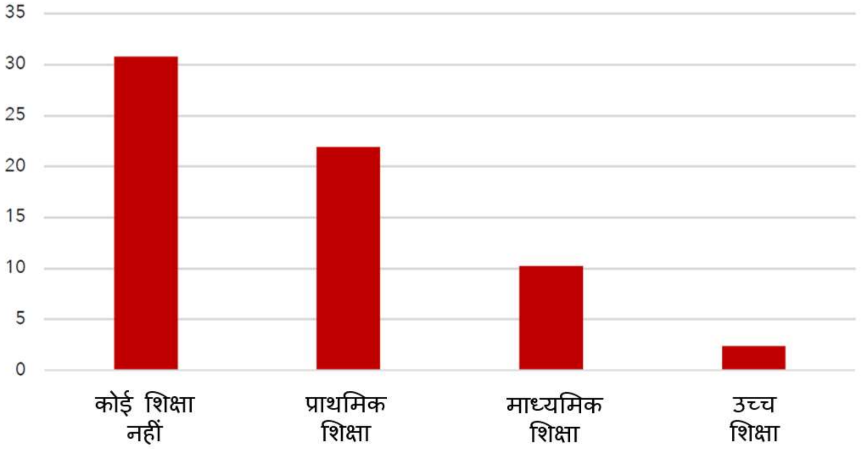

इससे आपके काम में क्या मदद मिल सकती है?

पत्रकार बाल विवाह की चिंताजनक स्थिति के कारणों को स्थानीय स्तर पर उठा सकते हैं और शासन, बाल विवाह प्रतिबंध कानून और सामाजिक व्यवहार आदि पर रौशनी डाल सकते हैं। इसके अलावा पत्रकार खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में बाल विवाह रोकने के लिए उठाए गए स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर के कदम के प्रभाव का आकलन कर सकते हैं।

पत्रकार लड़कियों के 18 वर्ष से कम उम्र में विवाह के सामाजिक कारकों की तह में भी जा सकते हैं। इस विषय पर ऐसी रिपोर्ट तैयार की जा सकती हैं, जिनमें यह स्पष्ट होता हो कि एक मौलिक अधिकार के तौर पर माध्यमिक स्कूल की शिक्षा निम्न आय वर्ग के परिवार की लड़कियों को कैसे शिक्षा का सुरक्षित माहौल उपलब्ध करवा सकती है या दूर-दराज के इलाकों में आवासीय विद्यालय युवा महिलाओं की स्वायत्तता और सशक्तिकरण में मदद कर सकते हैं और साथ ही बाल विवाह को दूर करने में भी मददगार हो सकते हैं। हालांकि दो तथ्यों के सह संबंध का यह मतलब नहीं होता कि उनमें से एक अनिवार्य रूप से दूसरे का कारण है, लेकिन संपति और शिक्षा के बाल विवाह के साथ संबंध को दर्शाने वाले यह प्रभावशाली आंकड़े आंखें खोल देने वाली विभिन्न रिपोर्ट का आधार बन सकते हैं और इस संबंध में प्रगति को सुनिश्चित कर सकते हैं।

रेफरेन्स:

इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पोपुलेशन साइंसेज (आईआईपीएस) और आईसीएफ. 2017. नेशनल फैमली हेल्थ सर्वे (एनएफएचएस-4), 2015-16: भारत। मुंबई: आईआईपीएस

प्रोजेक्ट 'संचार' का लक्ष्य लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में संचार के लिए साक्ष्य का उपयोग करने की क्षमता तैयार करना और इसे संबंधित लोगों की आदत में शामिल करवाना है। इसके लिए 'संचार' वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों को आंकता है और उन्हें आसानी से समझ आने लायक स्वरूप में उपलब्ध करवाता है। साथ ही डाउनलोड कर आसानी से उपयोग की जा सकने वाली सहयोगी दृश्य सामग्री भी उपलब्ध करवाता है।

HARVARD
T.H. CHAN
SCHOOL OF PUBLIC HEALTH
India Research Center